(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 22/2024-State Tax

Dated: 01/12/2025

No. F.3 (36)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 1154 -In exercise of the powers conferred under the section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure for rectification of order, to be followed by the class of registered persons (hereinafter referred to as the said person), against whom any order under section 73 or section 74 or section 107 or section 108 of the said Act has been issued confirming demand for wrong availment of input tax credit, on account of contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of section 16 of the said Act, and where appeal against the said order has not been filed, namely:–

2. The said person shall file, electronically on the common portal, within a period of six months from the date of issuance of this notification, an application for rectification of an order issued under section 73 or section 74 or section 107 or section 108 of the said Act, as the case may be, confirming demand for wrong availment of input tax credit, on account of contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of section 16 of the said Act, and where appeal against the said order has not been filed.

3. The said person shall, along with the said application, upload the information in the proforma in **Annexure A** of this notification.

4. The proper officer for carrying out rectification of the said order shall be the authority who had issued such order, and the said authority shall take a decision on the said application and issue the rectified order, as far as possible, within a period of three months from the date of the said application.

5. Where any rectification is required to be made in the order referred to in paragraph 1 and, the said authority has issued a rectified order thereof, then the said authority shall upload a summary of the rectified order electronically –

(i) in FORM GST DRC-08, in cases where rectification of an order issued under section 73 or section 74 of the said Act is made; and

(ii) in FORM GST APL-04, in cases where rectification of an order issued under section 107 or section 108 of the said Act is made.

6. The rectification is required to be made only in respect of demand of such input tax credit which has been alleged to be wrongly availed in contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of the said section 16.

7. Where such rectification adversely affects the said person, the principles of natural justice shall be followed by the authority carrying out such rectification.

Annexure A

Proforma to be uploaded by the registered person along with the application for rectification of order under special procedure for rectification of order notified under section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017)

1. Basic Details:

   (a) GSTIN:
   (b) Legal Name:
   (c) Trade Name, if any:
   (d) Order in respect of which rectification application has been filed:
      (1) Order Reference Number:
      (2) Order Date:

2. Details of demand confirmed in the said order:

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	Total							

3. Out of the amount mentioned in the Table in serial number 2 above:

   (a) the details of the demand confirmed in the said order, of the input tax credit wrongly availed on account of contravention of sub-section (4) of section 16, which is now eligible as per sub-section (5) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (the said Act):

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGS T	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	Total							

and/or

(b) the details of the demand confirmed in the said order of the input tax credit wrongly availed on account of contravention of sub-section (4) of section16, other than that mentioned in (a) above, which is now eligible as per sub-section (6) of section 16 of the said Act:

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	Total							

4

Declaration:

1. I undertake that, no appeal under section 107 or section 112 of the said Act is pending against the order against which this rectification application is filed.

2. I declare that all information provided by me is accurate and truthful. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render this application void and may lead to recovery proceedings for the outstanding dues along with applicable interest and penalties.

5	**Verification:** I_______________ (name of the authorised signatory), hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render my application void.

Signature of authorised signatory
Name/Designation
Email address
Mobile No.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

No. F.3 (36)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1154 **Dated: 01/12/2025**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–I) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 22/2024–राज्य कर

दिनांकः 01/12/2025

फा. सं. 3 (36)/वित्त (व्यय–I)/2025–26/डीएस–I/1154 – दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (तत्पश्चात् अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 148 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, आदेश के सुधार के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करते हैं, जिसका पालन पंजीकृत व्यक्तियों (तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति के रूप में संदर्भित) के वर्ग द्वारा किया जाएगा, जिनके खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अंतर्गत कोई आदेश जारी किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय के गलत लाभ की मांग की पुष्टि की गई है, लेकिन जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (5) या उप–धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई है, अर्थात्:–

2. उक्त व्यक्ति, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के सुधार के लिए एक आवेदन दायर करेगा, जैसा भी मामला हो, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय के गलत लाभ की मांग की पुष्टि करता है, लेकिन जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (5) या उप–धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई है।

3. उक्त व्यक्ति को उक्त आवेदन के साथ इस अधिसूचना के अनुलग्नक 'क' में दिए गए प्रपत्र में जानकारी अपलोड करनी होगी ।

4. उक्त आदेश में सुधार करने के लिए उपयुक्त अधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसने ऐसा आदेश जारी किया था, और उक्त प्राधिकारी उक्त आवेदन पर निर्णय लेगा तथा जहां तक संभव हो, उक्त आवेदन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर सुधारित आदेश जारी करेगा।

5. जहां परिच्छेद 1 में निर्दिष्ट आदेश में कोई सुधार किया जाना अपेक्षित है और, उक्त प्राधिकारी ने उसका संशोधित आदेश जारी कर दिया है, तो उक्त प्राधिकारी सुधारित आदेश का सारांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा –

(i) प्रपत्र जीएसटी डीआरसी–08 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अंतर्गत जारी आदेश में सुधार किया जाता है; और

(ii) प्रपत्र जीएसटी एपीएल–04 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अंतर्गत जारी आदेश में सुधार किया जाता है।

6. सुधार केवल ऐसे इनपुट कर प्रत्यय की मांग के संबंध में किया जाना अपेक्षित है, जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया है कि उसे उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन में गलत तरीके से प्राप्त किया गया है, किन्तु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है।

7. जहां ऐसे सुधार से उक्त व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसे सुधार करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

अनुलग्नक क

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 148 के अंतर्गत अधिसूचित आदेश के सुधार के लिए विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत आदेश के सुधार के लिए आवेदन के साथ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपलोड किया जाने वाला प्रपत्र

1. आधारभूत विवरण:

(क) जीएसटीआईएन:
(ख) विधिक नाम:
(ग) व्यापार का नाम, यदि कोई हो:
(घ) वह आदेश जिसके संबंध में सुधार आवेदन दायर किया गया है:
(1) आदेश संदर्भ संख्या:
(2) आदेश तिथि:

2. उक्त आदेश में पुष्टि किए गए मांग का विवरण :

(राशि रुपये में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	जुर्माना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							

	2022-23							
	कुल							

3. उपरोक्त क्रम संख्या 2 की तालिका में उल्लिखित राशि में से:

(क) धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय की उक्त आदेश में पुष्टि की गई मांग का विवरण, जो अब दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (उक्त अधिनियम) की धारा 16 की उपधारा (5) के अनुसार पात्र है:

(राशि रुपये में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	जुर्माना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	कुल							

और/या

(ख) धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय की उक्त आदेश में पुष्टि की गई मांग का विवरण, ऊपरोक्त (क) में उल्लिखित के अतिरिक्त, जो अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (6) के अनुसार पात्र है:

(राशि रुपये में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	जुर्माना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							

	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	कुल							

4	**घोषणाः** 1. मैं वचन देता हूं कि उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 112 के अंतर्गत कोई अपील उस आदेश के विरुद्ध लंबित नहीं है जिसके विरुद्ध यह सुधार आवेदन दायर किया गया है। 2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सटीक और सत्य है। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने पर यह आवेदन अमान्य हो जाएगा और बकाया राशि के लिए लागू ब्याज और जुर्माने सहित वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

5	सत्यापनः मैं --------------- (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने पर मेरा आवेदन रद्द हो जाएगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम
मेल पता
मोबाइल नं0:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मंगेज सिंह)
उप सचिव (वित्त)

फा0 सं0 3 (36)/वित्त (व्यय–I)/2025–26/डीएस–I/ –1154 **दिनांकः 01/12/2025**
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।

3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव (सा०प्रशा०वि०), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग–IV (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशन के अनुरोध सहित।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फ़ाइल।

(मंगेज सिंह)
उप सचिव (वित्त)